नाबालिग से अश्लीलता करने के दोषी को 20 साल की कैद

जबलपुर, एक्सप्रेस (ईएमएस)।

पाक्सो एक्ट की विशेष न्यायाधीश श्रीमती ज्योति मिश्रा की अदालत ने लैंगिक अपराध में एक आरोपी को दोषी पाते हुए 20 साल की सश्रम कारावास और कुल 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक रांझी पुलिस ने 25 मई 2020 को आरोपी गोपाल महोबिया के खिलाफ धारा 376 (एबी),व 376(2)(जे) तथा लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5(एम) का मामला दर्ज कर न्यायालय ने चालान पेश किया है। पीड़ित नाबालिग लड़की की माँ की ओर से दर्ज कराई एफआईआर में पड़ोस में रहने वालें आरोपी गोपाल महोबिया पर यह आरोप लगाया गया है कि नाबालिग जब उसके घर टीव्ही देखने गई थी तब आरोपी ने उसके साथ अश्लील हरकतें की, जिसकी चश्मदीद गवाह एक छत पर टहल रही पड़ोसी रही, उसने पूरा घटनाक्रम माँ की लड़की को बताया। जिला लोक अभियोजन पक्ष की ओर से अजय कुमार जैन ने मामलें में सशक्त पैरवी की, जिनके तर्को से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 10000 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया।